# रक्षा लेखा महानियंत्रक

## **Controller General of Defence Accounts**

उलान बटार रोड, पालम, दिल्ली छावनी-110010

Ulan Batar Road, Palam, Delhi Cantt- 110010

सं. प्रशा./XIV/19015/सरकारी आदेश

No. AN/XIV/19015/Govt. Orders

सेवा में,

सभी रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक/रक्षा लेखा नियंत्रक/प्र.ले.नि.(फै.)

All PCsDA/CsDA/PCA (Fys)

(वेब साइट के द्वारा/Through Website)

विषय: Implementation of the recommendation of 7th CPC on Over Time Allowance-reg.

उपरोक्त विषय पर भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19 जून, 2018 के कार्यालय ज्ञापन सं० A-27016/03/2017-Estt.(AL), जो रक्षा मंत्रालय (वित्त), र.ले.वि. समन्वय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली से प्राप्त हुआ है, की प्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अनुपालन हेतु अग्रसारित की जाती है।

A copy of Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances & pensions, Department of Personnel & training Office Memorandum No. A-27016/03/2017-Estt.(AL) dated 19th June, 2018 on the above subject, which is received from MoD (Finance), DAD Coord, South Block New Delhi, is forwarded herewith for your information, guidance and compliance please.

संलग्नक: यथोपरि

(मुश्ताक अहमद) सहानियंत्रक(प्रशा)

रक्षा लेखा उप महानियंत्रक(प्रशा.)

दिनांक: 18.07.2018

#### प्रतिलिपि:-

- 1. प्रशासन-4।
- 2. लेखा परीक्षा 1, 2 (स्थानीय)।
- 3. लेखा परीक्षा (समन्वय) अनुभाग (स्थानीय)।
- 4. आई.टी.एवं एस. विंग (स्थानीय) :- रक्षा लेखा महानियंत्रक की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 5. प्रशिक्षण एवं संगोष्ठी केंद्र, बरार स्क्रवायर, दिल्ली छावनी।
- 6. पुस्तकालय अनुभाग (स्थानीय)।
- 7. मास्टर नोट बुक प्रशासन-14।
- 8. महासचिव, ए.आई.डी.ए.ए. (सी.बी.) पुणे {द्वारा रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (अधिकारी) पुणे}।
- 9. महासचिव, ए.आई.डी.ए.ई.ए. (मु०) कोलकाता {द्वारा प्रधान नियंत्रक लेखा (फेक्ट्री) कोलकाता}।

(विजय रैना)

व॰ लेखा अधिकारी(प्रशा)

No.A-27016/03/2017-Estt.(AL)

### Government of India

# Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Department of Personnel & Training

281

Block-IV, Old JNU Campus, New Delhi - 110067, Date: 19<sup>th</sup> June, 2018.

### **OFFICE MEMORANDUM**

Subject: Implementation of the recommendation of 7th CPC on Over Time Allowance - reg.

The undersigned is directed to say that as per Dept. of Expenditure's Resolution No. 11-1/2016-IC dated 06.07.2017, following is the decision of Government on Overtime Allowance (OTA):

"Ministries/Departments to prepare a list of those staff coming under the category of 'Operational Staff'. Rates of Overtime Allowance not to be revised upwards".

- 2. Further it has been clarified by the Dept. of Expenditure that the Government has decided that given the rise in the pay over the years, the recommendations of the 7<sup>th</sup> CPC to discontinue OTA for categories other than Operational Staff and industrial employees who are governed by statutory provisions may be accepted.
- 3. Accordingly, it has been decided to implement the aforesaid decision of the Government on Overtime Allowance across all the Ministries/Departments and attached and subordinate office of the Government of India. The following definition shall be used to define Operational Staff.

"All non-ministerial non-gazetted Central Government servants directly involved in smooth operation of the office including those tasked with operation of some electrical or mechanical equipment."

- 4. The concerned Administration Wing of the Ministries/Departments will prepare a list of operational Staff with full justification based on the above parameters for inclusion of a particular category of staff in the list of operational staff with the approval of JS (Admn.) and Financial Adviser of the concerned Ministry / Department.
- 5. The grant of OTA may be linked to biometric attendance subject to the conditions mentioned below.
- a) OTA should be paid only when his/her senior officer directs the concerned employee(s) in writing for staying back in office to attend urgent nature of work.

(Contd.....)

1482/01/8

- c) The OTA for Staff Car Drivers should be linked with biometric system as normally, the designated parking is allotted in the office building. However, in cases where the parking lot is provided far from office, the Staff Car Driver would mark his/her attendance while leaving from his office and a grace time of not exceeding 2 hours should be allowed to cover the distance travelled after leaving office, including the time to drop the officer and then reaching the parking lot. In such cases, calculation can be done from log books, duly verified by the officer concerned.
- d) The OTA to field officials should be calculated on the basis of biometric attendance, as normally, such officers are given facility of official transport to attend the field work. Such officers are supposed to report in office before proceeding to field. In cases, where officials are required to attend the field work directly from home, they may be extended facility of official transport from home in lieu of transport allowance and OTA may be given on the basis of the log book of that vehicle, duly verified by their senior officers.
- 6. Since, the Government has decided not to revise the rates of OTA, the rates as prescribed in this Department's OM dated 19<sup>th</sup> March, 1991 for Office Staff, Staff Car Drivers and Operative Staff will continue to operate subject to their fulfillment of the above conditions.
- 7. All the existing instructions, except to the extent superseded by this O.M., will continue to remain in force.
- 8. These instructions will be applicable with effect from 01 July, 2017.
- 9. In so far as persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these instructions are being issued after consultation with the Comptroller & Auditor General of India.
- Hindi version will follow.

(Pramod Kumar Jaiswal)

Under Secretary to the Government of India

To

1. All Ministries/Departments of Govt. of India

2. NIC with a request to upload the O.M. on the website of DoPT.

## भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

ब्लॉक-IV, ओल्ड जेएनयू कैम्पस नई दिल्ली - 110067 दिनांक : 19 जून, 2018

## कार्यालय ज्ञापन

विषय: समयोपरि भते पर 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर कार्यान्वयन के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि व्यय विभाग के दिनांक 06.07.2017 के संकल्प सं. 11-1/2016-आईसी के अनुसार समयोपिर भन्ने पर सरकार का निम्निलिखित निर्णय है:- "मंत्रालय/विभाग 'प्रचालन स्टाफ' की श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार करेगें। समयोपिर भन्ने की दरें बढ़ाई नहीं गई हैं"

- 2. इसके अतिरिक्त व्यय विभाग द्वारा यह स्पष्ट क्रिया गैया है कि सरकार ने निर्णय लिया है कि पिछले वर्षों में वेतन में हुई बढ़ोतरी के मद्देनजर 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के प्रचालन स्टाफ और औद्योगिक कर्मचारियों, जो सांविधिक प्रावधानों द्वारा अभिशासित होते हैं, से इतर अन्य श्रेणियों के समयोपरि भत्ते को समाप्त करने की सिफारिशों को स्वीकार किया जाए।
- 3. तद्नुसार, समयोपिर भते के संबंध में सरकार के उपरोक्त निर्णय को भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है। प्रचालन स्टाफ को परिभाषित करने की परिभाषा निम्नलिखित होगी।

"केन्द्र सरकार के सभी गैर लिपिकीय अराजपत्रित सेवक जो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल यंत्र के प्रचालन सहित कार्यालय के निर्बाध प्रचालन से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं"

- 4. मंत्रालयों/विभागों का संबंधित प्रशासन विंग किसी स्टाफ की श्रेणी विशेष को प्रचालन स्टाफ की सूची में शामिल कर<u>ने के लिए उपरोक्त प्राचलों के</u> आधार पर संबंधित मंत्रालय/विभाग के संयुक्त सचिव (प्रशा.) एवं वितीय सलाहकार के अनुमोदन से पूर्णतः औचित्य सहित प्रचालन स्टाफ की एक सूची तैयार करेगा।
- 5. समयोपरि भत्ता, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन बायोमैट्रिक उपस्थिति से जोड़ा जाएगा।
  - क) समयोपरि भते का भुगतान उसी स्थिति में क़िया जाएगा जब वरिष्ठ अधिकारी ने संबंधित कर्मचारी को तात्कालिक प्रकृति के कार्य को निपटाने के लिए कार्यालय में रूकने के लिखित रूप में निदेश दिया हो।

- ग) स्टाफ कार चालकों के लिए समयोपिर भता बायोमेंट्रिक प्रणाली से जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि सामान्य तौर पर नियत पार्किंग स्थल कार्यालय भवन में ही आबंदित किया जाता है। तथापि ऐसे मामलों में जहां पार्किंग स्थल कार्यालय से दूर उपलब्ध करवाया गया हो तो स्टाफ कार चालक कार्यालय छोड़ते समय अपनी उपस्थिति दर्ज करेगा/करेगी और अधिकारी को छोड़ने और पार्किंग स्थल पहुँचने के समय सहित कार्यालय छोड़ने के बाद दूरी के लिए अधिक से अधिक 2 घंटे की छूट दी जाएगी। वैसे मामलों में संबंधित अधिकारी द्वारा भलीभाँति सत्यापित किए गए लाँग बुकों से गणना की जा सकती है।
- घ) फील्ड कार्मिकों के समयोपिर भते की गणना बायोमैट्रिक उपस्थित के आधार पर होनी चाहिए क्योंकि ऐसे कार्मिकों को फील्ड कार्य के लिए सरकारी परिवहन की सुविधा दी जाती है। ऐसे अधिकारियों से फील्ड में जाने से पूर्व कार्यालय में उपस्थित होने की अपेक्षा की जाती है। ऐसे मामलों में जहां पदाधिकारियों से निवास स्थान से ही फील्ड कार्य के लिए उपस्थित होने की अपेक्षा की जाती है उन्हें परिवहन भते के एवज में घर से ही सरकारी परिवहन की सुविधा दी जा सकती है और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भलीभाँति सत्यापित किए जाने पर उस वाहन की लॉग बुक के आधार पर समयोपिर भता दिया जा सकता है।
- 6. चूंकि, सरकार ने समयोपिर भते की दरों में संशोधन करने का निर्णय नहीं लिया है, इसितए कार्यालय स्टाफ, स्टाफ कार चालक, प्रचालन स्टाफ के लिए इस विभाग के दिनोंक 19 मार्च, 1991 के कार्यालय ज्ञापन की निर्धारित दरें, उपरोक्त शर्तों की पूरा करने के अध्यधीन, जारी रहेंगी।
- 7. इस कार्यालय ज्ञापन के अधिक्रमण की सीमा को छोड़कर सभी मौजूदा अनुदेश लागू रहेगे।
- 8. उपरोक्त अनुदेश 01 जुलाई, 2017 से लागू होंगे।
- 9. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों का संबंध है, ये अनुदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जा रहे हैं।

पुर्मीद कुमार जायसवाल) अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

- 1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
- एनआईसी, इस कार्यालय ज्ञापन को डीओपीटी की वेबसाईट पर अपलोड करने के अनुरोध सिहत।